

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
 प्राधिकार से प्रकाशित  
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1976/अग्रहायण 20, 1898

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1976/AGRAHAYANA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
 Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
 PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
 केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये सञ्चारण नियम  
 जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the  
 Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central  
 Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1976

सा०का०नि० 1721.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर भर्तों की पद्धति को विनियमित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (जन सम्पर्क अधिकारी) भर्तों नियम, 1976 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गए अनुसार होगा।

3. भर्तों की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद से संबंधित भर्तों की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामने उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये गये अनुसार होंगे:—

परन्तु उक्त अनुसूची के कालम 6 में उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती है।



Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/transfer	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of promotion, deputation or transfer grades or sources from which promotion, transfer or deputation to be made	Composition of Departmental Promotion Committee	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	50% by promotion; 50% by transfer on deputation.	Promotion : Upper Division Clerks in the Central Cattle Breeding Farms with 5 years' service in the grade. Deputation : Upper Division Clerks in the sub-ordinate Offices of the Department of Agriculture with 5 years' service in the grade. NOTE : The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'C' & 'D', Departmental Promotion Committee : 1. Director, Chairman Central Cattle Breeding Farm. 2. Senior most member Gazetted Officer (next to the Director at the Farm). 3. Gazetted Officer (preferably of Central Government) from outside the Central Cattle Breeding Farm.	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. 10-12/75—LD II]

P. G. RAMRAKHIANI, Dy. Secy.

**नौबहन व परिवहन मंत्रालय  
(परिवहन पक्ष)**

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1976

सा. का. नि. 1734—भारतीय दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय दीपघर सलाहकार समिति (प्रक्रियात्मक) नियम, 1976 है।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय दीपघर अधिनियम, 1927 (1927 का 17) अभिप्रेत है।

(ख) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय दीपघर सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य-सचिव" से समिति का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है ।

3. समिति का कार्यकाल.—समिति का गठन एक बार में दो वर्ष के लिए किया जाएगा।

4. समिति का गठन.—समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय का सचिव जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) भारत सरकार का नौ सलाहकार, पदेन ;

(ग) नौबहन और परिवहन मंत्रालय का वित्त सलाहकार, पदेन ;

(घ) भारत सरकार का मुख्य हाइड्रोग्राफर, पदेन ;

(ङ) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि ;

(च) एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि ;

(छ) इंडियन नेशनल शिप-प्रोनर्स एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि ;

(ज) नौचालन जलयानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय सरकार के दो नामनिर्देशित जिनमें से एक भारत के पश्चिमी तटों से होगा और दूसरा पूर्वी तटों से ;

(झ) इन्टर-पोर्टस् कनसल्टेडिडिग्न ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशित ;

(ञ) संसद के दो सदस्य, जिनमें से एक लोकसभा का और दूसरा राज्य सभा का होगा ;

(ट) दीपघर और दीपघरों का महानिदेशक, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

5. रिक्तियों, आदि का कार्य और कार्यवाहियों को अधिमान्य न करना.—समिति के किसी भी कार्य या कार्यवाहियों के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह केवल निम्नलिखित कारणों से अधिमान्य हैं :—

(क) समिति में किसी रिक्ति का होना या समिति के गठन में किसी त्रुटि का होना, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्यलोप, त्रुटि या अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

6. पदावधि :—इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य दो वर्षों के लिये पद धारण करेगा ;



परन्तु संघ सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये या उतनी अवधि के लिये जब तक वह उस संघ का सदस्य बना रहता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से जो भी कम हो, पद धारण करेगा।

7. आकस्मिक रिक्तियाँ.—सदस्य के पद में की कोई आकस्मिक रिक्ति, यथास्थिति, नामनिर्देशन या नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और उस रिक्ति को भरने के लिये इस प्रकार नामनिर्देशित या नियुक्त सदस्य केवल उतनी ही अवधि के लिये पद धारण करेगा जितनी अवधि के लिये वह सदस्य, जिसका स्थान वह भरता है, यदि रिक्ति न हुई होती तो, पद धारण किया रहता।

8. सदस्यों द्वारा पद त्याग.—अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपनी सदस्यता त्याग सकेगा, किन्तु वह उस समय तक, जब तक कि उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता या त्यागपत्र की तारीख से तीस दिन की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पहले पड़े, अपने पद पर बना रहेगा।

9. पद से सदस्यों का हटाया जाना.—केन्द्रीय सरकार किसी भी सदस्य को किसी भी समय पद से हटा सकेगी:—

- (क) यदि वह निरन्तर 12 मास से अधिक की अवधि के लिये भारत से अनुपस्थित रहे, और उसने ऐसी अनुपस्थिति के लिये अध्यक्ष की अनुज्ञा न प्राप्त की हो;
- (ख) यदि वह अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की दो लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहे;
- (ग) यदि वह अनुपस्थित दिवालिया है;
- (घ) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक-अधमता अन्तर्बलित है;
- (ङ) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, वह उन हितों का प्रतिनिधित्व करने से परिवरित हो जाता है जिनकी ओर से वह नियुक्त किया गया था;
- (च) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, किसी अन्य कारण से, जिसे लेखबद्ध किया जायेगा, यह वांछनीय नहीं है कि वह सदस्य बना रहे।

10. समिति में प्रतिनिधित्व का निलम्बन या उसकी समाप्ति.—यदि ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, उस सरकार को यह राय है कि ऐसे किसी निकाय या संगम ने, जिसका समिति में प्रतिनिधित्व है, ऐसी रीति से जो सामान्यतया नौबहन के हितों के प्रतिकूल हो, कार्य किया है या कार्य कर रहा है तो वह सरकारी आदेश द्वारा उस निकाय या संगम के प्रतिनिधित्व को उतनी अवधि के लिये निलम्बित कर सकती है जितनी उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, या उस प्रतिनिधित्व को बिल्कुल ही समाप्त कर सकती है।

11. समिति का विस्तार.—यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई निकाय या संगम, जिसका समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह यथास्थिति उस निकाय या संगम को प्रतिनिधित्व दे सकती है या समिति में किसी अतिरिक्त सदस्य के नाम निर्देशन के लिये अनुरोध कर सकती है।

12. सदस्यों का रजिस्टर.—एक ऐसा रजिस्टर रखा जायगा जिसमें सभी सदस्यों का नाम और पते दर्ज किये जायेंगे और उस रजिस्टर में किसी सदस्य के पते में हुआ कोई परिवर्तन भी दर्ज किया जायगा।

13. समिति का सदस्य सचिव.—(1) दीपघर और दीपपोतों का महा-निदेशक, जो नियम 4 के अधीन पदेन सचिव होगा, समिति के सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(2) सदस्य-सचिव के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:—

- (क) अध्यक्ष के निदेशों के अधीन समिति को या नियम 21 में निर्दिष्ट समिति की उपसमिति की बैठक बुलाना;
- (ख) वृत्त पुस्तक तथा सदस्यों का रजिस्टर रखना;
- (ग) अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करना;
- (घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे समिति द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

14. बैठकें.—(1) समिति 12 मासों में साधारणतया एक बार और यदि आवश्यक हो तो इससे भी कम के अन्तरालों पर अपनी बैठक करेगी।

(2) समिति की असाधारण बैठक उस दशा में आयोजित की जायेगी जब कम से कम 5 सदस्य अध्यक्ष को लिखित रूप में इसकी मांग करें और उस उद्देश्य को बताएं जिसके लिये बैठक करने का प्रस्ताव है।

(3) समिति को प्रत्येक बैठक उस तारीख को और उस समय तथा उस स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष नियत करें।

(4) अध्यक्ष समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, और, उसकी अनुपस्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने के लिये, उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को चुन लेंगे।

15. बैठकों की सूचना.—(1) समिति की प्रत्येक बैठक के स्थान, तारीख और समय की सूचना बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जायेगी।

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें, अध्यक्ष की राय में, बैठक अत्यवश्यक रूप से की जानी है, कम अवधि की सूचना भी दी जा सकती है।

(क) उप नियम (1) के अधीन सूचना या तो हाथों हाथ दी जायेगी या सदस्य के अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्री डाक से भेजी जायेगी।

16. कार्यसूची.—नियम 14 में निर्दिष्ट समिति की बैठक की सूचना के साथ-साथ उन कार्यों की एक सूची भी, जिन्हें उस बैठक में करने का प्रस्ताव है, प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी और जो कार्य सूची पर नहीं है वह बैठक में, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, नहीं किया जायेगा।

17. गणपूर्ति (1) बैठक के लिये गणपूर्ति 5 होगी।

(2) यदि किसी समय गणपूर्ति न हो तो समिति की बैठक किसी अगली तारीख के लिये स्थगित कर दी जायेगी और वह तारीख मूल बैठक की तारीख से 14 दिन से पहले की नहीं होगी तथा स्थगित बैठक में कार्य संचालन किया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या न हो।

18. बैठक की प्रक्रिया.—(1) कोई सदस्य, जो किसी प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहता है, उसकी लिखित सूचना, समिति की बैठक के लिये नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, सदस्य-सचिव को देगा।

(2) समिति की बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य समिति का संचालन विनियमित करेगा।

(3) समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच मतभेद की दशा में बहुमत की राय मान्य होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, और यदि समिति द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की संख्या बराबर है तो अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक निर्णायक मत होगा।

19. बैठकों के कार्यवृत्त.—(1) समिति को कार्यवाहियों के वृत्त सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे, तथा वे वृत्त, उपस्थित किन्हीं संशोधनों के साथ जितना सुझाव दिया गया है, पुष्टिकरण के लिए समिति को अगली बैठक में रखे जाएंगे।



(2) अध्यक्ष या उस सदस्य द्वारा, जिसने बैठक में अध्यक्षता की थी, कार्यवृत्तों की पुष्टि और उस पर हस्ताक्षर के देने के पश्चात् उनके कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित कर लिया जाएगा जो कार्यालय के घंटों के दौरान हर समय सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

20. सिफारिशें.—समिति द्वारा किए गए ऐसे विनिश्चय, जिन पर आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है, मंत्रालय को अथवा परिवहन सम्बन्धी कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग को भेजे जाने के लिए सिफारिशों के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे।

21. बैठकों में हाजिर होने वाले गैर-सदस्य.—अध्यक्ष चर्चा में भाग लेने के लिए समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगा किन्तु ऐसे व्यक्ति मत देने के हकदार नहीं होंगे।

22. उपसमिति.—समिति, अपने को निदिष्ट किसी विशिष्ट समस्या या समस्याओं की छानबीन करने तथा उन पर रिपोर्ट देने के लिए, स्थायी अथवा अन्य किसी प्रकार की, एक या अधिक उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी।

23. सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते, आदि.—(क) संसद-सदस्यों से भिन्न गैर-सरकारी सदस्य—

(क) यात्रा भत्ते : (1) रेल द्वारा यात्रा :—संसद सदस्य से भिन्न कोई गैर-सरकारी सदस्य, जो समिति या उप-समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए, अथवा समिति सम्बन्धी किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई यात्रा करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों के समकक्ष समझा जाएगा और वह प्रथम श्रेणी का रेल किराया पाने का हकदार होगा।

परन्तु सरकार किसी सदस्य के लिए वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने की मंजूरी उस दशा में दे सकेगी जब कि उसकी राय में यह रियायत निम्नलिखित एक या अधिक शर्तों के पूरा होने पर न्यायोचित हो, अर्थात् :—

(i) जब कि किसी व्यक्ति से, स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से या इस कारण कि उसकी आयु बहुत अधिक है, या अंग शैथिल्य के कारण, वातानुकूलित कोच में यात्रा करने की अपेक्षा की जाए,

(ii) जब कि कोई व्यक्ति उस संगठन के, जिसका कि वह है या सेवा निवृत्ति से पहले रहता, नियमों के अधीन वातानुकूलित कोच में यात्रा करने का हकदार है या था, और

(iii) जहाँ कि सरकार का यह समाधान हो गया है कि सम्बन्धित गैर-सरकारी सदस्य शासकीय कर्तव्य से असम्बद्ध यात्राएँ रेल की वातानुकूलित कोच में ही रहित करता रहा है।

(2) सड़क द्वारा यात्रा :—(i) ऐसे स्थानों के बीच, जो रेल से जुड़े नहीं हैं, सड़क द्वारा यात्राओं के लिए कोई भी सदस्य प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुज्ञेय सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा अर्थात् या अपनी कार या पूरी टक्सी में यात्रा करने पर 60 पैसे प्रति किलोमीटर अथवा मोटर साइकिल या स्कूटर पर यात्रा करने पर 20 पैसे प्रति किलोमीटर।

(ii) उन दशाओं में, जिनमें रेल से जुड़े दो स्थानों के बीच सड़क से यात्रा की जाती है, सदस्य रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के किराये तक सीमित विहित सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा। किन्तु यदि किसी व्यक्ति मामले में केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि सड़क द्वारा यात्रा लोकहित में की गयी थी तो पूरा-पूरा सड़क मील भत्ता, उसे रेल भत्ते तक सीमित किए बिना, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा :—समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्राओं के लिए, गैर-सरकारी सदस्य सर्वोच्च श्रेणी की निम्नतम दर से (भोजन को छोड़कर) एक किराये का हकदार होगा।

(4) वायुयान द्वारा यात्रा :—(i) सामान्य अनुक्रम में वायुयान द्वारा यात्रा की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, किन्तु केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त किसी सामान्य अनुदेश के अधीन रहते हुए, समिति के किसी सदस्य को वायुयान द्वारा यात्रा करने की मंजूरी उस दशा में दे सकती है जब उसका यह समाधान हो गया हो कि वायुयान द्वारा यात्रा करना अत्यावश्यक और लोकहित में जरूरी है।

(ii) जब किसी गैर-सरकारी सदस्य को वायुयान द्वारा यात्रा के लिए प्राधिकृत किया जाए तब वह, जहाँ कि एयर लाइन पर दो श्रेणियाँ, अर्थात् प्रथम और एकानोमी (टूरिस्ट) हों वहाँ, एकानोमी (टूरिस्ट) श्रेणी का हकदार होगा।

(iii) जिन दशाओं में वायुयान द्वारा यात्रा प्राधिकृत की जाती है उनमें गैर-सरकारी सदस्य एक मानक-वायुयान-किराये का हकदार होगा।

(iv) प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि, यदि यह आशा की जाती है कि टिकट समाप्त होने से पूर्व वापसी यात्रा पूरी की जा सकती है, तो वह जहाँ-कहाँ उपलब्ध हो वहाँ, वापसी टिकट ही खरीदे। किन्तु जाने तथा लौटने वाली यात्राओं के लिए, जब ऐसा वापसी टिकट उपलब्ध हो तब, मील भत्ता वापसी टिकट का वास्तविक व्यय होगा।

(v) यदि, किसी व्यक्ति मामले में, कोई गैर-सरकारी सदस्य समिति के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में वायुयान से यात्रा करने की सामान्य अनुज्ञा की मांग करता है तो, सरकार ऐसे मामले की जांच गुणागुण के आधार पर कर सकती है और सम्बन्धित सदस्य को, उसके विवेकानुसार, वायुयान से यात्रा करने की सामान्य अनुज्ञा दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि सम्बन्धित गैर-सरकारी सदस्य शासकीय कर्तव्यों से असम्बद्ध यात्राएँ अभ्यासत वायुयान से ही करता है।

(ख) दैनिक भत्ता : (1) गैर-सरकारी सदस्य प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू उच्चतम दर से दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा। दैनिक भत्ते की गणना उसी रीति से की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू है, और उनके मामलों में उनके निवास के सामान्य स्थान से लेकर ऐसे स्थान तक जो पूरी अनुपस्थिति की गणना कर ली जाएगी।

(2) असाधारण मामलों में, जहाँ कि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि समिति का कार्य ऐसी निरन्तर और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रकृति का है कि गैर-सरकारी सदस्य को, जितना समय और शक्ति उससे सामान्यतया देने की आशा की जाती है उससे कहीं अधिक समय और शक्ति देनी जरूरी होगा वहाँ, बैठक की जगह पर रुकने के लिए दैनिक भत्ते की दर को बढ़ाकर अधिक से अधिक 50 रुपए प्रतिदिन तक किया जा सकता है। यदि दैनिक भत्ते की बढ़ी हुई दर बैठक से ठीक पहले के या ठीक बाद के दिन के लिए या दोनों के लिए, यदि गैर-सरकारी सदस्य उस स्थान पर उन दिनों वस्तुतः रुकता है तो, अनुज्ञेय होगी।

(3) दैनिक भत्ता समय-समय पर यथा संशोधित अनु० नि०-73 में दी गयी सामान्य शर्तों के अधीन रहेगा। किन्तु सरकार ऐसे दशाओं में, जिनमें उसके खण्ड (क) और (ख) में विहित शर्तें पूरी की गयी हैं, नियम को शिथिल करने के लिए सक्षम होगी।

(4) जब किसी गैर-सरकारी सदस्य को केन्द्रीय सरकार के व्यय पर रहने और लाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाए तो वह इन नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के केवल चतुर्थांश का हकदार होगा। यदि केवल भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है तो उसे दैनिक भत्ता अनुज्ञेय दर की आधी दर से दिया जाएगा। यदि केवल रहने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है तो दैनिक भत्ता अनुज्ञेय दर की तौन चौथाई दर से दिया जाएगा।



**MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**  
(Transport Wing)

New Delhi, the 20th November, 1976

**G.S.R. 1734.**—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Indian Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Advisory Committee for Lighthouses (Procedural) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Indian Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927) ;

(b) "Chairman" means the Chairman of the Committee;

(c) "Committee" means the Central Advisory Committee for Lighthouses constituted under sub-section (1) of section 4 of the Act;

(d) "member" means a member of the Committee;

(e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Committee.

3. Tenure of committee.—The Committee shall be constituted for a period of two years at a time.

4. Constitution of the committee.—The Committee shall consist of the following members, namely :—

(a) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport, who shall be the Chairman, ex-officio;

(b) the Nautical Adviser to the Government of India, ex-officio;

(c) the Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport, ex-officio;

(d) the Chief Hydrographer to the Government of India, ex-officio;

(e) one representative of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries;

(f) one representative of the Associated Chambers of Commerce of India;

(g) two representatives of the Indian National Ship-owners' Association;

(h) two nominees of the Central Government representing sailing vessels interests, one each from the West and East Coasts of India;

(i) one nominee of the Central Government representing Inter-Ports Consultative Organisation;

(j) two Members of Parliament, one each from the Lok Sabha and the Rajya Sabha;

(k) the Director General of Lighthouses and Lightships, who shall be the Member-Secretary, ex-officio.

5. Vacancies, etc., not to invalidate acts and proceedings.—No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid on the ground merely of :—

(a) the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Committee, or

(b) any omission, defect or irregularity not affecting the merits of the case.

6. Terms of office.—Subject to the other provisions of these rules, every member other than an ex-officio member shall hold office for a period of two years :

Provided that a Member of Parliament shall hold office for a period of two years or for so long as he continues to be a member of the House which he represents, whichever is less.

(ग) सवारी भत्ता : (i) उस स्थान का निवासी कोई गैर-सरकारी सदस्य, जहाँ समिति की बैठक होती है, ऊपर पैरा (क) और (ख) में बताए गए मापमानों के अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा किन्तु उसे सवारी भाड़े की वास्तविक रकम अनुज्ञात की जाएगी जो अधिक से अधिक 20 रु० प्रतिदिन होगी। दावे का वस्तुतः संदाय करने से पूर्व सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, ऐसे व्योरे प्राप्त करने के पश्चात् जो आवश्यक समझा जाए स्वयं, दावों को सत्यापित करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि जो व्यय वस्तुतः किया गया था, वह उस व्यय से कम नहीं था जिसके लिए दावा किया गया है। यदि व्योरो से उसका समाधान नहीं होता है तो वह सवारी भत्ते को सड़क मील भत्ते तक, स्वविवेकानुसार, सीमित कर सकेगा।

(ii) यदि कोई ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय दर से मील भत्ता मंजूर किया जाएगा किन्तु यह भत्ता अधिक से अधिक 20 रु० प्रतिदिन तक होगा।

(ग) संसद सदस्य को दिए जाने वाले भत्ते : (ख) यात्रा भत्ता :

(i) समिति के कार्यों के सम्बन्ध में रेल, सड़क, वायुयान या स्टीमर द्वारा की गयी यात्राओं के लिए संसद सदस्य उसी मापमान पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो संसद सदस्य के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 4 के अधीन उसे अनुज्ञेय होगा।

(ii) संसद सदस्य साधारणतया रेल से यात्रा करेगा और वह अपने उस निःशुल्क प्रथम श्रेणी के रेल पास का प्रयोग करेगा जो उसे दिया गया है। वह स्वविवेकानुसार वायुयान से भी यात्रा कर सकता है। किन्तु वायुयान द्वारा यात्रा का आशय सामान्य अनुक्रम में नहीं लिया जाएगा तथा अपने विवेक का प्रयोग करते समय सदस्य कार्य की अत्यावश्यकता, वह दूरी जहाँ तक यात्री की जानी है, उसके पास उपलब्ध समय, आदि बातों को भी ध्यान में रखेगा।

(ख) दैनिक भत्ता : (i) संसद सदस्य, दैनिक भत्ता, बैठक के प्रत्येक दिन के लिए, संसद सदस्यों की समय-समय पर अनुज्ञेय दर से पाने का हकदार होगा।

(ii) जब कभी संसद अथवा कोई संसदीय समिति जिसमें सदस्य सेवारत हों, सत्र में हो तब, सदस्य समिति के किसी कार्य के सम्बन्ध में दैनिक भत्ता लेने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि वह संसद सदस्य के वेतन और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 3 के अधीन दैनिक भत्ता सम्बन्धित संसद सचिवालय से ले रहा होगा, किन्तु यदि वह यह प्रमाणपत्र दे दे कि समिति सम्बन्धी कार्य के कारण वह सदन के सत्र या संसदीय समिति में उपस्थित नहीं हो सका था और उसने संसद से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है तो वह, जैसा ऊपर बताया गया है, दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा। यदि किसी संसद सदस्य के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, या स्वायत्तशासी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम या निगम, या कानूनी निकाय या स्थानीय प्राधिकारी के, जिसमें सरकारी निधियाँ विनिहित की गयी हैं या जिसमें सरकार का कोई अन्य हित है, व्यय पर निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की गयी है तो दैनिक भत्ते का संदाय संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 के अधीन विनियमित किया जाएगा।

(ग) सरकारी सदस्य यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते को मंजूरी के सम्बन्ध में उन नियमों द्वारा शासित होगा जो सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उसे लागू होते हैं।

24. यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की मंजूरी के प्रयोजनार्थ नियंत्रक अधिकारी—गैर-सरकारी सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में दीप पर और दीप पोतों के महानिदेशक नियंत्रक अधिकारी होंगे।

[सं० एस पी एस-33-74-एम टी]

डी० सी० अहीर, अवर सचिव



7. Casual vacancies.—A casual vacancy in the office of member shall be filled by nomination or appointment, as the case may be and a member so nominated or appointed to fill the vacancy shall hold office for so long only as the member whose place he fills would have continued to hold office, if vacancy had not occurred.

8. Resignation by members.—A member, other than the Chairman, may resign his membership by letter under his hand addressed to the Chairman, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the Chairman, or expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

9. Removal of members from office.—The Central Government may at any time remove from office any member.—

- (a) if he is continuously absent from India for a period of more than 12 months and has not obtained the permission of the Chairman for such absence;
- (b) if he absents himself from two consecutive meetings of the Committee without the permission of the Chairman;
- (c) if he is an undischarged insolvent;
- (d) if he is convicted of any offence which in the opinion of the Central Government involves moral turpitude;
- (e) if, in the opinion of the Central Government, he has ceased to represent the interests on whose behalf he was appointed;
- (f) if, in the opinion of the Central Government, it is for any other reason, to be recorded in writing, not desirable that he should continue to be a member.

10. Suspension of termination of representation on the committee.—If, after such enquiry as it may deem necessary, the Central Government is of the opinion that any body or association which is represented on the Committee has acted or is acting in a manner prejudicial to the interests of Shipping generally, it may, by order, suspend the representation of that body or association for such period as may be specified in that order or may terminate the same altogether.

11. Expansion of the committee.—If the Central Government is of the opinion that any body or association which is not represented on the Committee or is inadequately represented on the Committee, it may give representation to such body or association or ask for nomination of additional member on the Committee, as the case may be.

12. Register of members.—There shall be maintained a Register in which the names and addresses of all members shall be entered, and change of address of a member shall also be entered in that Register.

13. Member-Secretary of the committee.—The Director General of Lighthouses and Lightships, who is an ex-officio member under rule 4, shall also function as Member-Secretary to the Committee.

(2) The duties of the Member-Secretary shall be :—

- (a) to convene, under the directions of the Chairman, meetings of the Committee or of a Sub-Committee of the Committee referred to in rule 21;
- (b) to maintain the Minutes Book and the Register of the members ;
- (c) to assist the Chairman in the discharge of his functions;
- (d) to undertake such other duties as may from time to time be entrusted to him by the Committee.

14. Meetings.—(1) The Committee shall meet ordinarily once in 12 months and may, if necessary, meet at shorter intervals.

(2) An extraordinary meeting of the Committee shall be convened if not less than five members send a written requisition to the Chairman stating the object for which the meeting is proposed.

(3) Every meeting of the Committee shall be held on such date and at such time and place as the Chairman may fix.

(4) Every meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman and in his absence, the members present shall elect one from amongst themselves to preside over the meeting.

15. Notice of meetings.—(1) Notice of the place and the date and time of each meeting of the Committee shall be sent to the members at least 30 days before the date of the meeting :

Provided that a shorter notice may be given in cases where, in the opinion of the Chairman, the meeting has to take place urgently.

(2) A notice under sub-rule (1) may be delivered either by hand or sent by registered post to the last known address of the member.

16. Agenda.—Along with the notice of the meeting of the Committee referred to in rule 14, a list of the business proposed to be transacted at the meeting shall be sent to every member, and no business which is not on the list, shall be transacted at the meeting except with the permission of the Chairman.

17. Quorum.—(1) The quorum for a meeting shall be five.

(2) If at any time there is no quorum, the meeting of the Committee shall be adjourned to a later date, such date being not earlier than fourteen days from the date of the original meeting and business may be transacted at the adjourned meeting whether or not there is quorum.

18. Procedure at meeting.—(1) A member desiring discussion on any proposal shall give written notice thereof to the Member-Secretary at least fifteen days before the date fixed for the meeting of the Committee.

(2) The member presiding at a meeting of the Committee shall regulate the conduct of the meeting.

(3) In the case of difference of opinion amongst the members present at a meeting of the Committee the opinion of the majority shall prevail.

(4) Each member shall have one vote, and if there shall be an equality of votes on any question to be decided by the Committee, the Chairman or the member presiding shall have a casting vote.

19. Minutes of meetings.—(1) The minutes of the proceedings of the Committee shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated to all the members present in India and the minutes along with any amendments suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Committee.

(2) After the minutes are confirmed and signed by the Chairman or the member who presided at the meeting, they shall be recorded in a Minutes' Book which shall be kept open for inspection of the members at all times during office hours.

20. Recommendations.—Decisions arrived at by the Committee requiring any further action shall be recorded in the form of recommendations to be forwarded to the Ministry or Department of the Central Government dealing with Transport.

21. Non-member attending meetings.—The Chairman may invite any person to be present at any meeting of the Committee to participate in the discussions but such persons shall not be entitled to vote.

22. Sub-committee.—The Committee may appoint one or more Sub-Committee, standing or otherwise, to examine and report on any specific problem or problems referred to such Committee.

23. Travelling allowance and daily allowance etc. of members.—(A) Non-official members other than members of parliament :

(a) Travelling allowance.—(1) Journey by Rail.—A Non-official member other than the Member of Parliament per-



forming journeys to attend the meeting of the Committee or Sub-committee or in connection with any work relating to the Committee shall be treated at par with Government Servants of the first grade and will be entitled to first class rail-fare :

Provided that the Government may sanction travel by air-conditioned class accommodation for any member, where the concession in their opinion, justifies on fulfilment of one or more of the following conditions, namely :—

- (i) When a person is required to travel in air-conditioned accommodation on grounds of health or because of very advanced age or infirmity ;
  - (ii) When a person is or was entitled to travel in air-conditioned coach under the rules of the Organisation to which he belongs or might have belonged before retirement; and
  - (iii) Where the Government is satisfied that A.C.C. travel by rail is the customary mode of travel by the non-official concerned in respect of journeys unconnected with the performance of Government duty.
- (2) Journey by road.—(i) In respect of journeys by road between places not connected by rail, any member will be entitled to road mileage admissible to an officer of the First Grade viz., 60 Paise per K. M. for travel in his own car or full-taxi or 20 Paise per K. M. for travel on motorcycle or scooter.
- (ii) In cases where journeys between two places connected by rail is performed by road, the member will be entitled to the prescribed road mileage limited to First Class fare by rail. However, if in any individual case, the Central Government is satisfied that the journey by road was performed in public interest, full road mileage allowance may be allowed without restricting it to rail fare.
- (3) Journey by sea or river steamer.—In respect of journeys by sea or by river steamer, a non-official member shall be entitled to one fare at the lowest rate (exclusive of diet) of the highest class of accommodation.
- (4) Journey by air.—(i) Air travel shall not be permitted as a matter of course. The Central Government may, however, subject to any general instruction in this behalf sanction travel by air of any member of the Committee where it is satisfied that the air travel is urgent and necessary in the public interest.
- (ii) A non-official member when authorised to travel by air shall be entitled to economy (Tourist) Class where two classes of accommodation, that is, First and Economy (Tourist) Class accommodation, are available on the air lines.
- (iii) In cases where air-travel is authorised, a non-official member shall be entitled to one standard air fare.
- (iv) Every member shall be required to purchase return ticket, wherever it is available, when it is expected that the return journey can be performed before the expiry of the ticket. The mileage allowance for the forward and return journeys when such return ticket is available, shall, however, be the actual cost of the return ticket.
- (v) If, in any individual case, a non-official member asks for general permission to travel by air in connection with his duties as a member of the Committee, the Government may examine the case on merits and grant general permission to the individual concerned to travel by air at his discretion, if they are satisfied that the non-official concerned habitually travels by air on journeys not connected with the performance of official duty.
- (b) Daily Allowance.—(1) A non-official member shall be entitled to daily allowance at the highest rate applicable to Central Government employees of the First Grade. The daily allowance shall be calculated in the same manner as applicable to Central Government employees, the entire absence in their cases being reckoned from and to their ordinary place of residence.
- (2) In exceptional cases, where the Central Government is satisfied that the work on the Committee is of such continuous or responsible nature as to necessitate the non-official member devoting far greater time and energy to it

than he can be ordinarily expected to spare, the rate of daily allowance for stay at the place of meeting may be increased upto a maximum of Rs. 50 per day. The enhanced rate of daily allowance shall be admissible for the day preceding, or the day following the meeting or both, if the non-official member actually stays at the place on these days.

(3) Daily allowance shall be subject to the usual conditions laid down in S.R. 73, as amended from time to time. The Government shall, however, be competent to relax the rule in cases where the conditions prescribed in clauses (a) and (b) thereof are satisfied.

(4) When a non-official member is allowed free board and lodging at the expense of the Central Government he shall be entitled to only one-fourth of the daily allowance admissible to him under these rules. If only board is allowed free, daily allowance shall be admissible at one-half of the admissible rate. If only lodging is allowed free, daily allowance shall be admissible at three-fourth of the admissible rates.

(c) Conveyance Allowance.—(i) A non-official member, resident at a place where the meeting of the Committee is held, shall not be entitled to travelling and daily allowance on the scales indicated in sub-para (a) and (b) above, but shall be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 20 per day. Before the claim is actually paid, the controlling officer concerned shall verify the claims and satisfy himself, after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed. In cases, he is not satisfied with the details, he may, at his discretion limit the conveyance allowance to road mileage.

(ii) If such a member uses his own car, he shall be granted mileage allowance at the rates admissible to officials of the First Grade subject to a maximum of Rs. 20 per day.

(B) Allowances to be paid to Member of Parliament.—

(a) Travelling allowance.—(i) In respect of journeys performed by rail, road, air or steamer in connection with the work of the Committee, Member of Parliament shall be entitled to travelling allowances on the same scale as is admissible to him under section 4 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954).

(ii) A Member of Parliament shall ordinarily travel by rail utilising the free first class rail pass issued to him. He may also travel by air at his discretion. Air travel shall not, however, be resorted to as a matter of course and in exercising his discretion, the Member shall take into account factors, like urgency of work, distance to be travelled, time at his disposal, etc.

(b) Daily Allowance.—(i) A Member of Parliament shall be entitled for each day of the meeting, daily allowance at the rate admissible to Members of Parliament from time to time.

(ii) When the Parliament or a Parliamentary Committee on which the Member is serving is in session, the Member shall not be entitled to draw any daily allowance in connection with his assignment with the Committee, as he may be drawing his daily allowance under section 3 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) from the Parliament Secretariat concerned. However, if he certifies that he was prevented from attending the Session of the House or the Parliamentary Committee, because of his work connected with the Committee and did not draw any daily allowance from the Parliament, he shall be entitled to draw daily allowance as indicated above. When a Member of Parliament is allowed free board and lodging at the expense of the Central Government or State Government or an autonomous industrial or commercial undertaking or corporation, or statutory body or a local authority, in which Government funds have been invested or in which Government have any other interest, the payment of daily allowance will be regulated under Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957.



(C) An official Member shall be governed by the rules for grant of Travelling Allowance and Daily Allowance as applicable to him while discharging official duties.

24. Controlling Officer for the purpose of sanctioning T. A. and D.A.—The Director General of Lighthouses and

Lightships, shall be the Controlling Officer in respect of Travelling Allowance and Daily Allowance for the non-official members.

[No. LPL-33-74-MT]

D. C. AHIR, Under Secy.